


## समाहरणालय, मधेपुरा।

(न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा)

—: आम सूचना :-

उत्पाद वाद सं०-229/2018-19, दिनांक-13.02.2019, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (सेशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-30ए के अन्तर्गत जप्त मोटर साईकिल निबंधन सं०-BR-43-8211, Chassis No-MD2DSDXZZNAA-20171, Engine No.-DXEBNA21176 को जब्त किया गया है, जिसे राज्यसात करने हेतु उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं०-28/2019 राज्य बनाम गौरब कुमार समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में चल रहा है। इस न्यायालय के डी०बी०नं०-702 दिनांक 08-07-2019 के द्वारा गाड़ी मालिक के नाम/पता पर निबंधित डाक सं०-RF 6175228411N के माध्यम से नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। नोटिसधारी श्री मंगल सादा, पे० श्री जनक सादा, सा०-रहुआ, थाना-सौरबाजार, जिला-सहरसा, सा० रहुआ का नहीं है के कारण नोटिस बिना तामिला वापस प्राप्त हुआ है। नोटिस विधिवत तामिला नहीं होने के कारण दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से यह आम सूचना प्रकाशित किया जाता है।

एतद् सूचना द्वारा उपरोक्त जब्त वाहन के मालिक श्री मंगल सादा, पे० श्री जनक सादा, सा०-रहुआ, थाना-सौरबाजार, जिला-सहरसा को अगाह किया जाता है कि समाहर्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में दिनांक 03-09-2019 को 03:00 बजे अप० में उपस्थित होकर वाहन से संबंधित सभी कागजातों के साथ अपना पक्ष रखें अन्यथा एकपक्षीय सुनवाई कर नियमानुसार विधि-सम्मत आदेश पारित कर दिया जायेगा।

  
समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी,  
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा  
(जिला विधि शाखा)  
पत्रांक...../विधि,

प्रेषक,

जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक.....

विषय :  
महाशय,

आम सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि उत्पाद वाद सं०-229/2018-19, दिनांक-13.02.2019, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (सेशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-30ए के अन्तर्गत जप्त मोटर साईकिल निबंधन सं०-BR-43-8211, Chassis No-MD2DSDXZZNAA-20171, Engine No.-DXEBNA21176 है को राज्यसात करने से संबंधित आम सूचना को तत्काल प्रकाशन किया जाना है।

अतएव आम सूचना की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि मुख्य दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण/दैनिक भास्कर/प्रभात खबर) में तत्काल प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्न : आम सूचना की तीन प्रतियाँ

विश्वासभाजन

ह/-

जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक...../विधि, मधेपुरा, दिनांक.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी विभागीय कार्यालय प्रधान, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अपने विभागीय सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आम सूचना प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,  
मधेपुरा।